अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.1-4/2026-हिं.अ.

दिनांक: 15.07.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में किए जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 16.06.2026 के कार्यालय ज्ञापन सं. ई.11015/01/2021-रा.भा. के द्वारा संस्थान को सूचित किया गया है कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान माननीय संसद सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए माननीया सचिव महोदया स्वयं उपस्थित थीं। इस निरीक्षण बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ विभाग के कार्मिकों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में किए जाने के बारे में भी चर्चा की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उक्त कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय तथा स्वायत्त शासी निकायों एवं संस्थान को इस अनुरोध के साथ सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है कि कृपया उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन का संस्थान में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए **(प्रति संलग्न)**।

अतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के उक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए निदेशों के अनुपालन में, संस्थान के स्थापना अनुभाग (नि.का)/संकाय प्रकोष्ठ/स्थापना अनुभाग(अस्प.)/सभी केंद्रों के स्थापना अनुभागों द्वारा संस्थान के सभी कार्मिकों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में किए जाने के संबंध में अनुपालनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है ताकि भविष्य में संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष किसी प्रकार की असहज स्थिति उत्पन्न न हो।

इसे माननीय निदेशक महोदय के अनुमोदन से आवश्यक अनुपालन हेतु जारी किया जाता है।

दिव्या

(दिव्या यानामदाला)
वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं
राजभाषा अधिकारी

वितरणः- सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी - स्थापना अनुभाग (नि.का.)/संकाय प्रकोष्ठ/हृद् तंत्रिका केंद्र/डॉ. बी.आर.ए.सं.रो.कैं.अ./डॉ. रा.प्र. केंद्र/दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र/ जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा केंद्र/राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद/राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर/अनुसंधान अनुभाग/स्थापना अनुभाग(अस्पताल)।

प्रतिलिपिः-

1. निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदया के प्रधान निजी सचिव।
2. अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के निजी सचिव।
3. वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
5. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली।
6. प्रभारी आचार्य, कंप्यूटर सुविधा - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

E-4958665/26

सं. ई-11015/1/2021-रा.भा.
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(राजभाषा प्रभाग)

*****

कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली
दिनांक: 16.06.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में किए जाने के संबंध में

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 16 फरवरी, **2026** को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का राजभाषायी निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण बैठक में समिति के सदस्य माननीय संसद सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सचिव महोदया स्वयं उपस्थित थीं। इस निरीक्षण बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में गति लाने के लिए विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। निरीक्षण बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ विभाग के कार्मिकों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में किए जाने के बारे में भी चर्चा की गई।

2. इस संदर्भ में राजभाषा विभाग के दिनांक 06 अप्रैल, 1992 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12024/2/92-रा.भा. (ख-2) के तहत यह निदेश है कि सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां करने वाले अनुभागों द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में काम करने वाले कार्मिकों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं।

3. तदनुसार अनुरोध है कि विभाग के सभी कार्मिकों की **सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में** की जाएं जिससे कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और भविष्य में संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष किसी प्रकार की असहज स्थिति उत्पन्न न हो।

(बिनोद कुमार)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष : 011-24013265

सेवा में,

निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली

प्रति प्रेषित **(आवश्यक कार्रवाई के लिए):**

कार्यालय प्रमुख, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय तथा स्वायत्त शासी निकाय एवं संस्थान